

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 17.03.2025

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पोखरे की जमीन बैनामा करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक शाहपुर के नेतृत्व में उ0नि0 रविन्द्र नाथ चौबे मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 452/2024 धारा 419,420,467,468,471,120बी,406,506 भादवि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त राजेश गुप्ता उर्फ झल्लू को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पोखरे की जमीन वादिनी मुकदमा को बैनामा कर देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजेश गुप्ता उर्फ झल्लू पुत्र कैलाश गुप्ता निवासी खरैया पोखरा बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 452/2024 धारा 419,420,467, 468, 471,120बी, 406,506 भादवि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रविन्द्र नाथ चौबे थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. कां0 राघवेन्द्र दुबे थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. कां0 श्यामबाबू शाह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर